



आईपीओ की नीलामी में यूपीआई के उपयोग का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (सेबी) ने नविशकों को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) में शेयरों की बोली के दौरान मौजूदा पब्लिक इश्यू टाइमलाइन T+6 को T+3 करने के लिये एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बंदि:

- उल्लेखनीय है कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट (ASBA) द्वारा दो वर्ष पूर्व भी टाइमलाइन को कम करने में मदद मली थी। लेकिन वर्तमान में प्रस्तावति एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग समग्र रूप से टाइमलाइन को कम करने में कारगर होगा।
- भुगतान प्रणाली में हो रहे महत्त्वपूर्ण विकास से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट (ASBA) के साथ मलिकर को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) की दक्षता में सुधार लाएगा।
- टी +3 ऐसी प्रणाली को संदर्भति करता है जसिमें इक्वटी शेयर आईपीओ की सदस्यता समाप्तके तीन दिन पश्चात् बाज़ार में सूचीबद्ध होते हैं।
- सेबी ने जनवरी 2016 में सभी नविशकों के लिये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट (ASBA) प्रणाली को अनविर्य कर आईपीओ टाइमलाइन को T+12 से कम कर T+6 कर दिया था।
- गौरतलब है कि जब एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से धन हस्तांतरण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक थी, उस स्थिति में संस्थागत नविशकों और उच्च मूल्य स्तर के नजिी नविशकों व्यक्तियों द्वारा मौजूदा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉकड अमाउंट (ASBA) प्रणाली का प्रयोग कया जाता होगा।